02/06/25

आज यह पत्रावली वादिनी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत करने पर पेशी में की गई। वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की हमारा सबीनामा हो गया है। पारस्परिक पिरों की अनुमति प्रदान करें। वादिनी की पश्चात वकील श्री R.K. मंचंदा एडवोकेट की ओर। वादिनी द्वारा पिरों के अनुमति हेतु जवाब पारित किया जाता है। बेसाख करना।

आदेश उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.03 13:26:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

डिक्लेर्ड
2/6/2025
Identified by me
R.K. Manchanda
02/06/2025

GCMS
2024/652